न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या एल आर ए/47/2014

उनवान

1. नारायण पिता लालू रेबारी निवासी झामाजी का सेमलिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती सुखी देवी पत्नी रतनदास बैरागी, निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. नारायण पिता रतनदास बैरागी, निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
3. मु0 काली पुत्री रतनदास बैरागी, निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
4. सांवरा पिता रतनदास बैरागी, निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अपील विरूद्ध जिला कलक्टर, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 22/2013 निर्णय एवं दिनांक 20.9.2013

अधिवक्तागण :–

1. श्री रणवीरसिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री एस एल वैद ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 23.8.2018

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भादू तहसील माण्डल स्थित आराजी नम्बर 2292 के बाबत प्रकरण चला और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से उक्त भूमि रतनदास का कब्जा नहीं होने से दिनांक 31.12.2012 को बिलानाम दर्ज कर दी, व उपखण्ड अधिकारी माण्डल ने उद्घोषणा जारी कर आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किये, जिसमें प्रार्थी ने भी अपना आवेदन पेश किया व अन्य लोगों ने भी आवेदन पेश किये। विपक्षीगण का कब्जा ही वादग्रस्त भूमि पर नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी अनदेखी कर मनमकसूद तरीके से विपक्षीगण को आवंटन किया जो निरस्त योग्य है। भूमि का आवंटन नाबालिग को किया गया है जो नियमों के प्रतिकूल है, प्रार्थी का भूमि पर कब्जा विगत 20 वर्षो से भी अधिक समय से है। आवंटन प्रार्थना पत्र पर विधिवत प्रकिया नहीं अपनाई गई, पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट नहीं ली गई। विपक्षीगण का मुख्य व्यवसाय कृषि नहीं है तथा मौका रिपोर्ट के अनुसार भूमि पर कब्जा प्रार्थी का है इस प्रकार भूमि रिक्त नही होने पर भी आवंटन की गई है जो निरस्त योग्य है। अतः विपक्षीगण को किया गया आवंटन खारिज कराया जाकर विकल्प में निवेदन है कि प्रार्थी पात्रता रखता है , प्रार्थी के परिवार में काफी सदस्य है, और वह भूमिहीन की श्रेणी में आता है, अतः प्रार्थी को आवंटन नियम के आदेश प्रदान कराया जावे। अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन निरस्त कराया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि माननीय सक्षम न्यायालय के आदेश की पालना में भूमि निजाई बिलानाम होकर उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटियों को विज्ञप्ति जारी की । जिसकी उद्घोषणा दिनांक 19 जनवरी 2013 को ग्राम भादू की निम्न आराजियात की व आवंटन प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये:–

आराजी नम्बर	रकबा
2292	5.00 बीघा
2933/2292	5.00 बीघा
2940/2293	3.10 बीघा
2935/2293	3.10 बीघा

जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने बिना आवंटन प्रक्रिया अपनाये मनमकसूद तरीके से उन्हीं आवंटियों को आवंटित कर दी जो कि न तो जिन्दा है ना ही उनके द्वारा कोई प्रार्थना पत्र ही पेश किया गया है। इस प्रकार कुलिया आवंटन निरस्त होने योग्य है ।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि तथाकथित भूमियों पर आवंटियों का कोई कब्जा नहीं है। अपीलाण्ट काबिज है जिसका मौका पर्चा दिनांक 21 जनवरी 2013 को तहसीलदार साहब माण्डल द्वारा देखा व बनाया गया है। जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पर प्रत्यर्थीगण का किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। भूमि अपीलाण्ट को नियमन किये जाने योग्य है। जिससे रेस्पोडेण्ट को किया गया आवंटन निरस्त योग्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि राजनैतिक द्वेषतावश चुनाव का समय होने से तथाकथित आदेश अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये रेकार्ड को मंगवाये बिना, एवं बिना सोचे समझे नियम विरूद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि 31 जनवरी 2013 को न तो आवंटन कमेटी का कोई कोरम हुआ एवं न ही अपीलाण्ट व आये हुए प्रार्थना पत्रों को आवंटन कमेटी के समक्ष विचारार्थ ही रखे गये , जिससे पूर्वी आवंटन प्रक्रिया को अपनाई गई वह ही विधिविरूद्ध है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर आवंटन प्रक्रिया अपनाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

8. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण को आवंटन का पात्र मानकर वादग्रस्त आराजियात का आवंटन किया है। वक्त आवंटन अपीलार्थी द्वारा भी आवंटन हेतु आवेदन किया गया। जिस पर आवंटन कमेटी द्वारा विचार किया गया । पटवारी रिपोर्ट के अनुसार नारायण के खाते में कुल 27 बीघा 7 बिस्वा भूमि पहले से ही थी। ऐसी स्थिति में निर्धारित मापदण्ड 15 बीघा से अधिक भूमि जिस कृषक के पास हो । उसे आवंटन का पात्र नहीं माना गया । इसलिए अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजी का आवंटन नहीं किया गया था। प्रार्थी को पुनः भू आवंटन नियम 14 (4) के तहत दुबारा दिनांक 4.2.83 को किये गये आवंटन को चेलेन्ज करने का अधिकार नहीं है। यदि उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है तो अपीलार्थी को माननीय उच्च

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय राजस्थान जोधपुर में चाराजोही करनी चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है। वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । वादग्रस्त आराजी नम्बर 2292 के बारे में उपखण्ड अधिकारी, माण्डल ने अपने आदेश कमांक राजस्व/13/687 दिनांक 29.4. 2013 से तहसीलदार माण्डल को यह निर्देश जारी किये किय प्रशासन गांव के संग अभियान केम्प भादू की वादग्रस्त भूमि के संबंध में दिनांक 31.12.2012 से जो भूमि गैरखातेदारी से सिवायचक दर्ज की गई, उसे पुनः पूर्व के आवंटियों को आवंटन करते हुए दिनांक 31.12.2012 से पहले की स्थिति कायम करने के आदेश दिये थे। प्रार्थी/अपीलाण्ट की ओर से उसके पुत्र बद्री ने भू आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया । उस पर दिनांक 31.1.2013 यह आदेश पारित किये गये कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार वादी नारायण व पूर्व आवंटी ही आवंटन में भाग ले सकते हैं। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र शामिल नहीं कर खारिज किया जाता है। भू आवंटन कमेटी की बैठक दिनांक 31.1.2013 में लिये गये निर्णयानुसार प्रार्थी नारायण के खाते में पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार 29 बीघा 7 बिस्वा दर्ज होने से निर्धारित सीमा से अधिक भूमि होने से आवंटन की पात्रता नहीं रखे जाने के कारण प्रशासन गांव के संग अभ्यिान के दौरान मजमे आम में दिनांक 4.1.83 को किये गये भू आवंटन पुनः विपक्षीगण/प्रत्यर्थीगण के खाते में दर्ज करने हेतु आदेश पारित किया है। जो विधिसम्मत है। जहॉ तक अपीलार्थी का कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा है। ऐसी स्थिति में भूमि आवंटन योग्य नहीं थी। भू

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अभिलेख निरीक्षक व पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 21.1.2013 अनुसार भूमि मौके पर पडत पडी है। फिर भी राजकीय सिवायचक बिलानाम भूमि पर यदि किसी का अतिक्रमण हो तो भी ऐसी भूमि को नियमों में आवंटन योग्य भूमि की श्रेणी में माना जाता है। अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण होने से उसे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है। वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

10. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.9.2013 को यथावत रखा जाता है।

11. निर्णय आज दिनांक 23.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

23/8/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा